

प्रेषक,

विनय प्रकाश सिंह,  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
मेरठ।

सेवा में

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,  
मेरठ।

विषय:-1108 / LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated 20-05-2020

एवं आपके आदेश दिनांकित 21.05.2020 के अनुपालन में आख्या प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, के पत्रांक 1108 / LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated 20-05-2020 एवं आपके आदेश संख्या 113 दिनांकित 21.05.2020 के सम्बन्ध में मेरठ न्यायालय परिसर के रैड जोन/कन्टेनमेंट जोन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ, से आख्या आहूत की गयी है, जो संलग्न कर माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है।

आदर सहित।

मवदीय,

दिनांक : 11.06.2020

(विनय प्रकाश सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
मेरठ।

सलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-श्रीमान नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर विभाग, जिला न्यायालय, मेरठ, को अनुपालन हेतु सादर प्रेषित।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
मेरठ।

प्रधान

जिला मणिस्ट्रोट  
मेरठ।

प्रधा.

✓ युवा स्थायीक मणिस्ट्रोट  
मेरठ।

लग्ज- १७३ / एसटी-नगर/ योगिल-१२

दिनांक- 11 जून, 2020

**Sub. Regarding Machanism/modalities for opening of Courts subordinate to High Court of judicature at Allahabad.**

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक ना० जिला न्यायाधीश, मेरठ महोदय के पत्र संख्या-1221/प्रथम, दिनांकित 06.06.2020 का संदर्भ ध्यान करने का काष्ट करें। उक्त वा० अतिरिक्त आवश्यक वज्र दिनांकित 22.05.2020 का तात्पर्य ग्रहण करने का काष्ट करें। उपर्युक्त विषयक फैवरात जशाम है कि गृह मेवालय, नारन रायपाल के आदेश संख्या-40-३-2020-टीए-१ (४) दिनांक 30.06.2020 के बाद में सुख्य नियम उत्तर प्रदेश शासन लक्ष्यनाम के आदेश संख्या-1362/2020/सीएक्स-३, दिनांक 31.05.2020 द्वारा कोटिल-१९ महानगरी की सेक्युरिटी के सम्बन्ध में पूर्ण से प्रभावी लौज ढाउन दिनांक 01-06-2020 से दिनांक 30-06-2020 तक वसानी द्वारा हेतु जारी किए गए हैं।

उत्कृष्ट में जिला मणिस्ट्रोट, मेरठ महोदय एवं वरिष्ठ युवीसी-अधीक्षक, मेरठ के आदेश संख्या-1558/अ०एस०डी०-कैम्प/2020, दिनांक 05.06.2020 के अन्तर्गत 'Containment Zone' एवं 'Buffar Zone' की सूची जारी की गयी है, जिसके कमांक-३५ पर बोर्ड कम्पाउण्ड की 'Containment Zone' में उल्लिखित योग्या गया है, जिसकी प्रति अदलोकनार्थी संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त अपर नार मणिस्ट्रोट (सिटिल लाइन), मेरठ के पत्र संख्या-1700/प्राकार-2020, दिनांकित 06.06.2020 ने स्पष्ट किया गया है कि वेस्टर्न काउंटी परिसर द्वा छोट रफोट के 'Containment Zone' की सीमा के अन्तर्गत आता है। उक्त पत्र की प्रति अदलोकनार्थी संलग्न है:

कृपया नारनसार आरड्या सुचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु योगित है।  
लापनाम- उपरोक्तानुसार।



(अध्यक्ष युवार विधारी)  
अपर जिला मणिस्ट्रोट (नगर)  
मेरठ।

प्रतिलिपि-

- 1- ना० जिला न्यायाधीश, मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थी प्रवित।
- 2- जिला मणिस्ट्रोट, मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थी प्रवित।

अपर जिला मणिस्ट्रोट (नगर)  
मेरठ।

कार्यालय अपर नगर मजिस्ट्रेट(सिडिल लाईन) मेरठ।

संख्या: १०० / पेशकार- 2020

दिनांक ०५-०६-२०२०,

अपर जिलाधिकारी(नगर)  
मेरठ।

महोदय,

अवगत कराना है कि पेस्टर्न यावहरी रोड बेगन चाग रिथल असोका हाठा  
हाठ स्पाट घोषित किया गया है। इसके सन्दर्भ रिथल सिडिल कोर्ट परिवार इस हाठरपाट  
के उपर्युक्त जौन की रीमा के अन्तर्गत आता है।

आव्यासुर्यार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित।

अपर नगर मजिस्ट्रेट(सिडिल)  
मेरठ।

कानूनी दस्ता विवरण (वा.वा.)

नम. 1556 / अंतर्राष्ट्रीय / 2020

दिनांक 05-06-2020

लापेक्ष

पुरुष संस्कार, गारा राज्य के आदेश संख्या 40-वा-2020-विभाग-1 (जि. दिनांक 29-5-2020) के काम में विभिन्न क्षेत्र संग्रह लकड़ार प्रदेश शासन, बालाकोट के आदेश संख्या 1302/2020 / रोपेश-2 विभाग 31-05-2020 द्वारा पुरुष से घासी छोड़ जान विनाश 01-06-2020 से 30-06-2020 तक प्राप्तवी साथे होने वाले गिरे गए हैं।

पुरुष संस्कार, गारा राज्य के लकड़ार प्रदेश शासन द्वारा घासी विनाश विभाग में प्रस विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या 1529/ओप्रॉप्रॉक्ट -विभा/2020 विभाग 2-6-2020 द्वारा विभाग 9-6-2020 तक, यान्पाद गेहू के सम्पूर्ण गमर विभाग द्वारा (वार्ष रोपेश 6.10. 28 एवं 31 को लाइसेंस) एवं बोट दोड़ दोड़ में पूरी Complete Lock Down जो विभिन्न राज्य द्वारा दर्शन की जाती है एवं वे सभी Containment Zone के बाहर विभाग 09-06-2020 से चर्चित गतिविधियों की कानिकाएं शामि एवं उत्तिवासी की अधीन अनुमति प्रदान की गयी थी। याथ से यान्पाद गेहू के Containment Zone का विवरण सम्पूर्ण विभाग द्वारा एवं पुरुष संघरितात्मक द्वारा दर्शन किया से प्रसारी प्राप्त करके लिए जाने के उद्देश विष्ट गए हैं।

आइ जनहित में जोधपुर-19 के शहरगढ़ यहे धोड़ने रो बोकने वाले शिए अधिकारी/पुरुष द्वारा दिए गए विभिन्न विभाग की विवरण के आधार पर विभागित Containment Zone एवं Buffer Zone (सूची संलग्न) के बाहर, अब विभाग 9-6-2020 से, जरजरत तरीके से गतिविधियों की संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। सम्बन्धित विभाग द्वारा "इन्फोडेन्ट लाम्पडर" के रूप में यहाँ से ही जानित किया गया है जिसके द्वारा अनुमत्य गतिविधियों को Containment Zone एवं Buffer Zone वाले बाहर सम्पर्क राखा जाने के लिए पृथक रो बोकने की जाए गी। दोट रेप्ट/फल्टनमेट/पक्क जान में कोणल दरवाजा अथा आपराहन दरवाजों की अपूर्ति ही पीछे जा सकती। गतिविधि अधिकारी द्वारा अपने-अपने दोड़ में विभिन्न Containment Zone एवं Buffer Zone के बीच की गांताहिक रूप से प्रत्येक रविवार एवं शुक्रवार की जायेगी वह Containment Zone एवं Buffer Zone रो बाहर आने जाने को अधिकारी दिया जाएगा।

यह भी राष्ट्र किया जाना है कि सम्बन्धित विभाग/पुलिस अधिकारियों द्वारा जिस दोषों में लालन दिलचस्प वाले उल्लंघन एवं अन्यायिक गोदू-गाड़ का जुठना यानि जामेंगा, जिसके कारण कलेजों वायरल के राखणे का बाबा नि उन दोषों के राखणा में अनुमति गतिविधियों को संचालन का बहुत बहुत पर पुनर्विद्यान दिया जा सकता।

विभिन्न पुलिस अधीकारी, गेहू।

(अनित दीप्ति)  
जिला अधिकारी, गेहू।

प्राप्ति तथा दिग्दृशी सुनिश्चानुसार

प्रतीक्षित— दैनन्दिकत को सूचनार्थ एवं अधिकारक आवश्यक हेतु प्रेषित—

- 1- आमुण्ठ, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 2- पुलिस महानिवेशक, मेरठ परिषद, मेरठ।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
- 4- भूष्य निकास अधिकारी, मेरठ।
- 5- समरत जागर जिला मणिस्ट्रेट, मेरठ।
- 6- इनारी एग्रीकूल नियंत्रण बाबा, एग्रीकूलरी, मेरठ।
- 7- पुलिस अधिकारी—नगर / ग्रामीण, मेरठ।
- 8- नार मणिस्ट्रेट, मेरठ।
- 9- समरत उप जिला मणिस्ट्रेट / अपर नगर मणिस्ट्रेट, मेरठ।
- 10- समरत पुलिस क्लेक्युलेशन, मेरठ (द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ)
- 11- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ जो इस निर्देश द्वारा साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का प्रकाशन / प्रकाशन जनपद के दैनिक समाचार पत्रों / इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनहित में निरुत्पा कराया जाना सुनिश्चित चाहे।
- 12- समरत सम्बन्धित कार्यालयव्यक्ति, जनपद मेरठ को अनुपालनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ

5/6

(अज्युष चौधरी)

5/6/2020  
(अमित चौधरी)  
जिला मणिस्ट्रेट, मेरठ।